न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)
पीठासीन अधिकारी: श्रवण सिंह राठौड़, आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या: 00609/2016

उनवान

1. लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल जाति भोई निवासी लोहारीया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा।

—: वादी।

बनाम

1. हेमराज पिता नाथुलाल भोई जाति भोई निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
2. रमेश पिता नाथुलाल भोई जाति भोई निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.)।
3. अमृतलाल पिता श्री नाथुलाल भोई जाति भोई निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।
4. लक्ष्मी पुत्री नाथुलाल भोई पत्नी मोगा भोई जाति भोई निवासी मोटागांव तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राज.) ।
5. मणि पुत्री नाथुलाल भोई पत्नी भोगजी भोई जाति भोई निवासी मोटागांव तहसील घाटोल जिला बांसवाडा (राज.) ।
6. कान्ता पुत्री नाथुलाल पत्नी रणछोड भोर्ट जाति भोई निवासी बांसवाडा तहसील एंव जिला बांसवाडा (राज.) ।
7. वजी बेवा नाथुलाल भोई जाति भोई निवासी लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।
8. तहसीलदार तहसील गढी जिला बांसवाडा (राज.) ।

—: प्रतिवादीगण।

वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 209 भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 29.7.2025

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी और प्रतिवादीगण 1 से 3 के संयुक्त स्वामित्व एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 270 सर्वे नम्बर 5325 रकबा 0.25 एयर वाके गांव लोहारिया तहसील गढी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी एवं प्रतिवादी उक्त वर्णित भूमि में संयुक्त रूप से काश्तकर कमाते चले आ रहे है । अर्सा करीब 2 वर्ष पूर्व वादी के पिता की मृत्यु पश्चात वादी व प्रतिवादीगण 1 से 3 के नाम संयुक्त खातेदारी मे नामांतरण दर्ज हुआ। [illegible] स्व शिविर में प्रतिवादीगण 1 से 3 ने मिलकर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का [illegible] जानकारी के अभाव में At The Back OfParty दर्ज करवा दिया। [illegible] प्रतिवादीगण 4 से 6 को अपना नाम पैतृक खाते में दर्ज करवाने का कोई अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी को [illegible] हडपने के लिए षडयन्त्र कर फर्जी तरीके से उक्त [illegible] मे प्रतिवादीगण का नाम दर्ज करवा लिया तथा उक्त प्रतिवादीगण 1 से 8 ने षडयन्त्र कर आनन फानन में प्रतिवादी रमेश के नाम रिलीज डीड का निष्पादन करवाकर उसे एकमात्र मालीक बनाकर सम्पूर्ण भूमि हडपने

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

Scanned with OKEN Scanner

का षडयन्त्र किया। जबकि कृषि भूमि में हक त्याग सम्भव नही है। हक त्याग पैतृक आबादी भूमि मे ही सम्भव है परन्तु प्रतिवादीगण ने गैरकानुनी तरीके से उक्त हस्तान्तरण किया है। प्रतिवादीगण का वादी की भूमि एवं हिस्से मे कोई हक व अधिकार नही है परन्तु प्रतिवादीगण गैरकानुनी तरीके से उक्त भूमि हडपना चाहते है। जिन्हे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना आवश्यक है उक्त भूमि मे वादी को अपने भाग का खातेदार घोषित कराना आवश्यक है तथा उसके हक त्याग के आधार पर नामान्तरण दर्ज करने से रोका जाना आवश्यक है। दौराने सुनवाई उक्त भूमि पर किसी प्रकार का निर्माण, हस्तान्तरण एवं बेचान इत्यादि किया जाना रोका जाये तथा उन्हे जरिये आज्ञापक आदेश पुनः बहाल करवाया जावे। वाद पत्र के पेरा नम्बर 1 मे वर्णित कृषि भूमि मे वादी को 1/4 भाग का खातेदार कृषक घोषित कर राजस्व रेकार्ड में उनका नाम अमल दरामद करने एवं हक त्याग को निरस्त कर उसके आधार पर नामान्तरण दर्ज किये जाने व दौराने कार्यवाही किसी प्रकार से बैचान, निर्माण, अतिक्रमण करे तो उसे पुनः बहाल किये जाने बाबत् वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् पेश हुआ।

वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 व 04 से 07 की आरे से श्री दीपक जोशी अभिभाषक का वकालतनामा पेश हुआ। प्रतिवादी संख्या 02 ने स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खातेदारी भूमि होकर राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.05.2015 दर्ज रिकार्ड है । उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी के पिता स्वर्गीय श्री नाथु पिता प्रताप भोई निवासी लोहारिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड थी। स्वर्गीय श्री नाथु पिता प्रताप की मृत्यू उपरान्त प्रतिवादी संख्या एक लगायत 7 के नाम नामान्तकरण विरासत में खोला गया है तथा जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में नामान्तरकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 खातेदार है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व वादी मूल खातेदार नाथू पिता प्रताप भोई के विधिवत कानून उत्तराधिकारी होने से जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 से विरासत में खातेदार हूए तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलकर कोई गलत तरिके से नामान्तकरण नही खुलवाया है तथा नामान्तरकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 नियमानुसार व कानूनन खोला गया है इसमें किसी प्रकार के ऐट द बेक ऑफ पार्टी दर्ज नही कराया गया है। तथा चरण संख्या तीन प्रतिवादी रमेश द्वारा षडयन्त्र रच कर रीलिज डीड निष्पादन करने के तथ्य अस्वीकार है तथा उत्तर है कि नियमानुसार पेतृक भूमि में अपने हित एवं हिस्से की भूमि को सहखातेदार एवं वारीसान को हक त्याग करने का कानूनी प्रावधान है तथा इसी प्रावधान के तहत प्रतिवादी रमेश के नाम अन्य सहखातेदार एवं नाथू पिता प्रताप भोई के वारिसान ने नियमानुसार विधिवत रूप से हक त्याग प्रतिवादी रमेश के पक्ष मे किया है जो कि कानूनन वैध्य है तथा प्रतिवादीगण को हक त्याग करने का कानूनन अधिकार होने से हक त्याग किया है। मूल खातेदार नाथू पिता प्रताप भोई के वारिसान द्वारा तथा सहखातेदार द्वारा प्रतिवादी रमेश के पक्ष में जो रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया है वह विधि अनुसार एवं नियमानुसार होने से प्रतिवादी रमेश मौके पर काबिज है तथा अपने हिस्से में की गई रिलीज डीड की कृषि भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है तथा प्रतिवादीगण कोई गैर कानूनी तरिके से लडाई झगडा नही कर रहें है न ही भूमि को हडपना चाह रहें है इस कारण से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका जा सकता है। वादी को 1/4 भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता क्योकि हक त्याग नियमानुसार व विधिवत जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किया गया है। हक त्याग करने वाले सहखातेदार को किसी ने हक त्याग करने के लिए न ही मजबुर किया है जबकि सहखातेदारों ने अपनी स्वेच्छा से राजी खुशी उपपंजीयक कार्यालय गढी में उपस्थित होकर अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 रमेश के हिस्से में हक त्याग

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

करने से हक त्याग करने वाले सहखातेदारों के हिस्से की भूमि का अब एक मात्र खातेदार प्रतिवादी रमेश है तथा रमेश अपने हिस्से में आई कृषि भूमि शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है इस कारण से वादी को कृषि भूमि को 1/4 भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है तथा नामान्तकरण दर्ज करवाने से नही रोका ज सकता है तथ धारा 88 रा.क.अ. के तहत चलने योग्य नही है। वादी लक्ष्मीलाल द्वारा पेश वाद 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 209 भू.रा. अधिनियम के तहत मांगी गयी रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी नही है, इस कारण से वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

प्रतिवादीगण संख्या 1,4,5,6, एवं 7 की ओर से जवाब पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के खातेदारी भूमि होकर राजस्व रेकार्ड में जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.05.2015 दर्ज रिकार्ड है। उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण के पिता स्वर्गीय श्री नाथु पिता प्रताप भोई निवासी लोहारिया के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रेकार्ड थी स्वर्गीय श्री नाथु पिता प्रताप की मृत्यू उपरान्त प्रतिवादीगण एक लगायत 7 के नाम नामान्तकरण विरासत में खोला गया है तथा जमाबन्दी संवत 2067 से 2070 में नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 के जरिए प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 खातेदार है । प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 व वादी मूल खातेदार नाथू पिता प्रताप भोई के विधिवत कानून उत्तराधिकारी होने से जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 से विरासत में खातेदार हूए तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 ने मिलकर कोई गलत तरिके से नामान्तकरण नही खुलवाया है तथा नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29.5.2015 नियमानुसार व कानूनन खोला गया है इसमें किसी प्रकार के ऐट द बेक ऑफ पार्टी दर्ज नही कराया गया है। नियमानुसार पेतृक भूमि में अपने हित एवं हिस्से की भूमि को सहखातेदार एवं वारीसान को हक त्याग करने का कानूनी प्रावधान है तथा इसी सहखातेदार तथा प्रतिवादी प्रावधान के तहत प्रतिवादी रमेश के नाम अन्य श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती मणी, श्रीमती कान्ता एवं श्रीमती वजी एवं हेमराज एवं नाथू पिता प्रताप भोई के वारिसान ने नियमानुसार विधिवत रूप से हक त्याग प्रतिवादी रमेश के पक्ष मे किया है जो कि कानूनन वैध्य है तथा प्रतिवादीगण को हक त्याग करने का कानूनन अधिकार होने से हक त्याग किया है। मूल खातेदार नाथू पितां प्रताप भोई के वारिसान द्वारा तथा सहखातेदार द्वारा प्रतिवादी रमेश के पक्ष में जो रजिस्टर्ड हक त्याग किया गया है वह विधि अनुसार एवं नियमानुसार होने से प्रतिवादी रमेश मौके पर काबिज है तथा अपने हिस्से में की गई रिलीज डीड की कृषि भूमि को शान्ति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है तथा प्रतिवादीगण कोई गैर कानूनी तरिके से लडाई झगडा नही कर रहें है न ही भूमि को हडपना चाह रहें है इस कारण से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका जा सकता है। वादी को 1/4 भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता क्योकि हक त्याग नियमानुसार व विधिवत जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किया गया है तथा हक त्याग की गयी भूमि का प्रतिवादी रमेश शान्ति पूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है तथा हक त्याग करने वाले सहखातेदार को किसी ने हक त्याग करने के लिए न ही मजबुर किया है जबकि सहखातेदारों ने अपनी स्वेच्छा से राजी खुशी उपपंजीयक कार्यालय गढी में उपस्थित होकर अपने हिस्से की कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 02 रमेश के हिस्से में हक त्याग कर [illegible] त्याग करने वाले सहखातेदारों के हिस्से की भूमि का अब एक [illegible] है तथा रमेश अपने हिस्से में आई कृषि भूमि शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा है इस कारण से वादी को कृषि भूमि को 1/4 भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है तथा नामान्तकरण दर्ज करवाने से नही रोका जा सकता है तथा दावा अन्तर्गत धारा 88 रा. क.अ. के तहत चलने योग्य नही है। वादी लक्ष्मीलाल द्वारा पेश वाद अन्तर्गत धारा 88 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं 209 भू.रा. अधिनियम के तहत मांगी गयी रिलीफ प्राप्त करने के अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

नही है, इस कारण से वाद निरस्त किये जाने योग्य होने से वाद निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

पत्रवाली वादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर PW–01 लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल भोई निवासी लोहारिया तह. गढ़ी का शपथ–पत्र पेश हुआ। लक्ष्मीलाल ने अपने शपथ–पत्र में कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण 01 से 03 के संयुक्त स्वामीत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 270 सर्वे नम्बर 5325 रकबा 0.25 एयर वाके गांव लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा में स्थित है। वादी व प्रतिवादी उक्त वर्णित भूमि में संयुक्त रूप से काश्तकार कमाते चले आ रहे है। अर्सा करीब 2 वर्ष पूर्व वादी के पिता की मृत्यु पश्चात् वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 3 के नाम संयुक्त खातेदारी में नामान्तरण दर्ज हुआ। गत राजस्व शिविर में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने मिलकर प्रतिवादी संख्या 4 से 7 का नाम वादी की जानकारी के अभाव में एट द बेक ऑफ पारर्टी दर्ज करवा दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को अपना नाम पैतृक खाते में दर्ज करवाने का कोई अधिकार नहीं है परन्तु प्रतिवादीगण ने वादी कि संपत्ति हडपने के लिए षडयन्त्र कर फर्जी तरीके से उक्त भूमि में प्रतिवादीगण का नामा दर्ज करवा लिया तथा आनन–फानन में प्रतिवदीगण रमेश के नाम रिलीज डीड का निश्पादन करवाकर उसे एकमात्र मालिक बनाकर सम्पूर्ण भूमि हडपने का षडयन्त्र किया। जबकि कृषि भूमि में हक त्याग सम्भव नहीं है। हक त्याग पैतृक आबादी भूमि में ही सम्भव है परन्तु प्रतिवादीगण ने गैरकानूनी तरीके से उक्त भूमि को हडपना चाहते है।

- PW–01 लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल भोई निवासी लोहारिया द्वारा दस्तावेज जमाबन्दी प्रदर्श–01 प्रदर्श कराई। श्री लक्ष्मीलाल से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह बात सही है कि प्रदार्श–01 में खातेदार नाथु पिता प्रताप भाई निवासी लोहारिया मेरे पिता थे जिनकी मृत्यु हो गई है तथा उनकी मृत्यु के बाद जरिये नामान्तरण संख्या 1049 दिनांक 29.5.15 को मेरे पिता के विधिक वारिसान पुत्र हेमराज, अमृतलाल, रमेश, लक्ष्मीलाल तथा पुत्रीया लक्ष्मी, मणी व कान्ता तथा मेरे पिता की पत्नि अर्थात् मेरी माता वजी का नामान्तरण खोला गया है। यह बात सही है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके विधिक वारिसान का नामान्तरण होता है यह बात सही है कि नाथू की कृषि भूमि प्रदर्श–01 में उसके पुत्र–पुत्रिया व पत्नि का हिस्सा है। अभी विधिवत रूप से हमारा बटवारा नहीं हुआ है। यह बात सही है कि मेरे पिता नाथुलाल के पुत्र हेमराज जो की रिश्ते में मेरा भाई है। तथा पुत्रिया लक्ष्मी, मणी व कान्ता जो की रिश्ते में मेरी बहने है व वजी जो की रिश्ते में मेरी मॉ है ने मिलकर 28.9.2015 को तहसील कार्यालय, गढ़ी में जा कर जरिये पंजीकृत दस्तावेज नियमानुसार विधिक रूप से रमेश पिता नाथु जो कि रिश्ते में मेरा भाई है। तथा मेरे पिता के विधिक वारिसान है के पक्ष में रिलिज डीड (हक त्याग) कर दिया तथा उक्त सभी ने अपने हिस्से की कृषि भूमि का मालिक रमेश पिता नाथु को बना दिया। यह बात सही है कि रमेश हेमराज वर्तमान मे मेरे हिस्से की कृषि भूमि को छोडकर शेष कृषि भूमि पर काबिज व कृषि कर रहे है। यह बात सही है कि हक त्याग तहसील गढ़ी में विधि अनुसार रजिस्टी कराई है यह बात सही है कि मेरे पिता के विधिक वारिसान पुत्र, पुत्रिया व पत्नि मिलाकर 8 लोग है यह बात सही है कि नामान्तरण संख्या [illegible] दिनांक 29.5.15 में मेरा नाम भी है तथा नियमानुसार मेरे पिता की कृषि भूमि में 1/8 हिस्सा ही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SeMAttested

पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नियत की जाने पर प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW–01 रमेश पिता नाथुलाल भोई निवासी लोहारिया तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा का शपथ–पत्र पेश हुआ। श्री रमेश पिता नाथुलाल ने अपने शपथ–पत्र में कथन किया कि वादग्रस्त भुमी वादी और प्रतिवादी नम्बर 01 से 07 की खातेदारी भुमी होकर राजस्व रिकार्ड मे जमाबन्दी

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

संवत 2067 –2070 मे जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29/05/2015 दर्ज रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 07 के पिता एवं पति नाथु पिता प्रताप भोई निवासी लोहारीया के नाम राजस्व रिकार्ड मे दर्ज रिकार्ड थी। स्व. श्री नाथु पिता प्रताप की मृत्यु उपरान्त प्रतिवादीगण नम्बर 01 से 07 के नाम नामान्तकरण विरासत मे खोला गया है तथा जमाबन्दी प्रतिवादीगण संवत 2067 –2070 मे नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29/05/2015 के जरिए प्रतिवादी नम्बर 01 से 07 खातेदार है । प्रतिवादी नम्बर 01 से 07 एवं वादी के मूल खातेदार नाथु पिता प्रताप भोई के विधिवत कानूनन उत्तराधिकारी होने से जरिए नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29/05/2015 से विरासत में खातेदार हुए तथा प्रतिवादी नम्बर 01 से 03 ने मिलकर कोई गलत तरीके से नामान्तकरण नही खुलवाया तथा नामान्तकरण संख्या 1039 दिनांक 29/05/2015 नियमानुसार व कानुनन खोला गया है। इसमे किसी प्रकार के ऐट द बेक ऑफ पार्टी दर्ज नही कराया गया है नियमानुसार पैतृक भुमी मे अपने हित एवं हिस्से की भुमी को सहखातेदार एवं वारीसान के तहत मुझ प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश के नाम अन्य सहखातेदार तथा प्रतिवादीगण श्रीमती लक्ष्मी, श्रीमती मणी, श्रीमती कान्ता, श्रीमती वजी एवं हेमराज एवं नाथु पिता प्रतापं भोई के वारीसान ने नियमानुसार विधिवत रूप से हकत्याग मुझ प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश के पक्ष मे किया है जो कि कानुनन वैद्य प्रतिवादीगण को हकत्याग करने का कानूनन अधिकार होने से हक त्याग तथा किया है। मुल खातेदार नाथु पिता प्रताप भोई के वारीसानो द्वारा तथा सहखातेदार द्वारा मुझ प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश के पक्ष मे जो रजिस्टर्ड हकत्याग किया गया है वह विधि अनुसार एवं नियमानुसार होने से मै प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश मौके पर काबीज हूँ तथा अपने हिस्से मे की गई रिलीज डीड़ की कृषि भूमि का शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूँ तथा प्रतिवादीगण गैर कानुनी तरीके से लडाई झगडा नही कर रहे है एवं न ही भूमि हडपना चाह रहे है। इस कारण से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से नही रोका जा सकता है। मै शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि वाद पत्र की चरण संख्या 05 पूर्ण रूप से अस्वीकार है तथा उत्तर है कि वादी को 1/4 भाग का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है, क्योकि हक त्याग नियमानुसार एवं विधिवत रूप से जरिए रजिस्टर्ड दस्तावेज के द्वारा किया गया है तथा हक त्याग की गई भुमी का मै प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग कर रहा हूँ व हक त्याग करने वाले सहखातेदारो को किसी ने हकत्याग करने के लिए मजबुर नही किया है, जबकि सहखातेदारों ने अपनी स्वेच्छा से राजी खुशी उपपंजीयक कार्यालय गढी में उपस्थित होकर अपने हिस्से की कृषि भुमी को मुझ प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश के पक्ष मे हकत्याग करने से हकत्याग करने वाले सहखातेदारों के हिस्से की भुमी का अब एकमात्र खातेदार मैं प्रतिवादी नम्बर 02 रमेश हूँ तथा मैं रमेश अपने हिस्से मे आई कृषि भूमी का शान्तिपूर्वक उपयोग एवं उपभोग कर रहा हूँ। इस कारण से वादी को 1/4 भाग की कृषि भुमी का खातेदार घोषित नही किया जा सकता है तथा नामान्तकरण दर्ज करवाने से नही रोका जा सकता है तथा वाद धारा 88 रा.का.अ. के तहत चलने योग्य नही है। हकत्याग नियमानुसार एवं उपपंजीयक गढी के समक्ष पेश होकर विधि अनुसार होने से उसे निरस्त नही किया जा सकता है तथा हकत्याग के आधार पर नामान्तरकरण दर्ज किया जाना आवश्यक है ।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SDM Attested

- DW–01 रमेश पिता नाथुलाल भोई निवा[illegible] तहसील गढ़ी जिला बांसवाडा ने अपने जवाब के समर्थन में प्रतिज्ञा[illegible] पत्र प्रदर्श–1 A प्रदर्श कराया। श्री रमेश पिता नाथुलाल से वादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर कथन किया कि यह बात सही है कि मेरे पिता के [illegible] है जिसमें 4 भाई व 3 बहने है। यह बात सही है कि मॉ मेरे पास रहती है यह बात गलत है कि मेरी बहने मेरी मॉ के कहने में है। यह बात सही है कि कृषि भूमि 5325 पैत्रक है। यह बात सही है कि बहनों का नाम खाते में जुडवाने के लिए नहीं ली थी। अजखुद कहा कि बहनों

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

का नाम नियमानुसार खाते में चडा है। मेरी माँ की उम्र लगभग 100 वर्ष है। यह बात गलत है कि मेरी माँ की वृद्धा अवस्था से उनको कुछ पता नहीं है। और फर्जी रजिस्टी करा ली है। यह बात गलत है कि मैने बहनों को पैसे देकर अपने पक्ष में भूमि का हकत्याग कराया है। यह बात भी गलत है कि मैने लक्ष्मीलाल की भूमि हडपने के लिए फर्जी रजिस्टी कराई हो।

पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर बकुलाय की बहस सुनी गई। प्रकरण में कायम की गई तनकियात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है :–

तनकी संख्या 01 :– आया वादी एंव प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त स्वामित्व एंव आधिपत्य की कृषि भूमि खाता संख्या 270 के सर्वे नम्बर 5325 रकबा 0.25 हे0 वाके गांव लोहारिया में स्थित है।

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा अपने दावे के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 पेश प्रदर्श–01 प्रस्तुत की। वादी साक्ष्य स्वरूप PW–01 लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल भोई निवासी लोहारिया का शपथ–पेश किया। जिसमें श्री लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल ने कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 270 सर्वे नम्बर 5325 रकबा 0.25 एयर वाके गांव लोहारिया, वादी व प्रतिवादीगण 01 से 03 के संयुक्त स्वामीत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। उक्त तनकी के विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 02 तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 04 से 07 ने अपने जवाब तथा गवाह DW–01 रमेश पिता नाथुलाल जाति भोई का शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि खाता संख्या 270 के सर्वे नम्बर 5325 रकबा 0.25 एयर वाके गांव लोहारिया, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 से 07 के संयुक्त स्वामीत्व व आधिपत्य की कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–01 जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि मुल पुरूष नाथुलाल पिता प्रताप भोई के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिनकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम दर्ज रिकार्ड हुई। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 :– आया उक्त वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी सख्या 1 से 3 ने राजस्व षिविर में प्रतिवादी सख्या 4 से 7 का नाम वादी की जानकारी के बिना दर्ज करवा दिया। जबकि प्रतिवादी संख्या 4 से 6 को पैतृक खाते की भूमि में अपना दर्ज करवाने का कोई अधिकार नही है।

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा उक्त तनकी के समर्थन में ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो कि वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने राजस्व शिविर में प्रतिवादी संख्या 04 से 7 का नाम दर्ज करवाया हो तथा प्रतिवादी संख्या 4 से 6 पैतृक भूमि में नाम दर्ज करवाने हकदार नहीं है। वादी के गवाह लक्ष्मीलाल PW–01 ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 मूल पुरूष नाथुलाल के विधिक उत्तराधिकारी है। उक्त तनकी विरूद्ध प्रतिवादी के गवाह DW–01 रमेश पिता नाथु का शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि वादी प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 3 मूल पुरूष नाथुलाल के पुत्र है। व प्रतिवादी संख्या 04 से 06 मूल पुरूष नाथुलाल की पुत्रिया है। तथा प्रतिवादी संख्या 07 मूल पुरूष नाथुलाल की पत्नि है। प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 मूल पुरूष नाथुलाल के विधित उत्तराधिकारी है। नाथु की मृत्यु के वाद वादग्रस्त भूमि, वादी व प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम विरासती नामान्तरण से दर्ज रिकार्ड हुई। दावे के संलग्न प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत् 2067 से 2070 का अवलोकन किया। वादी यह साबित करने में असफल रहा कि प्रतिवादी संख्या 04 से 06 वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

Scanned with OKEN Scanner

कराने के अधिकारी नहीं है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 :– आया प्रतिवादी सख्य 1 से 8 वादग्रस्त भूमि हड़पने का षडयन्त्र कर प्रतिवादी रमेश के नाम रिलीज डीड निष्पादित कराकर उसे एकमात्र खातेदार बनवा दिया। उक्त वादग्रस्त भूमि में वादी 1/4 भाग का खातेदार घोषित होने का पात्र है।

(वादी साबित करे)

वादी द्वारा गवाह लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल PW–01 शपथ–पत्र पेश कर कथन किया कि मूल पुरूष नाथुलाल की मृत्यु के वाद प्रतिवादी संख्या 01 से 03 ने एट द बेक ऑफ पार्टी षडयन्त्र पुर्व प्रतिवादी संख्या 04 से 6 का नाम वादग्रस्त भूमि दर्ज रिकार्ड करवा दिया। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 4 से 7 ने प्रतिवादी संख्या 2 रमेश के नाम रिलीज डीड (हक त्याग) बनवा लिया जबकि प्रतिवादी संख्या 04 से 06 वादग्रस्त भूमि में नाम जुडवाने के हकदार नहीं थे। प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW–01 रमेश पिता नाथुलाल का शपथ–पत्र तथा साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेज रिलीज डीड (हक त्याग) प्रदर्श–1 A पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मूल पुरूश नाथुलाल पिता प्रताप के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसकी मृत्यु के वाद उसके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम विरासती नामान्तरण से दर्ज रिकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 01 व 4 से 7 ने प्रतिवादी संख्या 02 रमेश पिता नाथु के पक्ष में रिलीज डीड (हक त्याग) निषादित किया है। वादी लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर वादी ने यह स्वीकार किया कि वादग्रस्त भूमि में वादी का 1/8 भाग का हिस्सा निहित है। अतः उक्त तनकी वादी के विरूद्ध व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 04 :– आया वादग्रस्त भूमि का रमेश के पक्ष में किया गया हकत्याग विधिअनुसार ही किया गया हैं तथा वादी उक्त भूमि का 1/4 भाग का खातेदार घोषित होने का पात्र नही है।

(प्रतिवादी संख्या 02 साबित करे)

प्रतिवादी संख्या 02 ने प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में DW–01 रमेश पिता नाथुलाल का शपथ–पत्र पेश कर साक्ष्य के समर्थन में दस्तावेज रिलीज डीड (हक त्याग) प्रदर्श–1 A पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त भूमि मूल पुरूष नाथुलाल पिता प्रताप के नाम दर्ज रिकार्ड थी। जिसकी मृत्यु के वाद उसके विधिक उत्तराधिकारी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 लगायत 07 के नाम विरासती नामान्तरण से दर्ज रिकार्ड हुई। प्रतिवादी संख्या 01 व 4 से 7 ने प्रतिवादी संख्या 02 रमेश पिता नाथु के पक्ष में रिलीज डीड (हक त्याग) उप पंजीयक गढ़ी में निषादित किया है। वादी लक्ष्मीलाल पिता नाथुलाल से प्रतिवादी अभिभाषक द्वारा जिरह की जाने पर वादग्रस्त भूमि में अपना हिस्सा 1/8 होना स्वीकार किया है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में व वादी के विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 05 अनुतोष :– तनकी संख्या 01 से 04 प्रतिवादी के पक्ष में व वादी के विरूद्ध साबित होने व प्रतिवादी संख्या 04 से 07 का वादग्रस्त भूमि में विधिवत् जुडकर प्रतिवादी संख्या 04 से 07 द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 के पक्ष में रिलीज डीड (हक त्याग) किया गया है। अतः वादी का वाद व्यय सहित निर्णित किया जाकर खारीज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

अतः वादी का वाद वादी के विरूद्ध निर्णित किया जाकर इस आशय की डिक्री प्रथक से जारी की जाती है।

निर्णय आज दिनांक29.7.2025 को जारी किया गया।

श्रवण सिंह राठौड़
उपखण्ड अधिकारी,
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by SHARWAN SINGH RATHORE
Date: 2025.12.31 16:31:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner